**न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।**
**उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक**
**जमानत आवेदन सं0—262 / 2026**
**शेखपुरा थाना कांड सं0—55 / 26**
**बिहार राज्य बनाम् विकास कुमार।**

विकास कुमार पे0 जलधारी यादव, लगभग 19 वर्ष,
साकिन—कमासी, थाना—शेखपुरा, जिला—शेखपुरा, ....................................आवेदक।

**वनाम**

बिहार सरकार ...................................................... ................................................................ विपक्षी।

आवेदक की ओर से : श्री लालु कुमार यादव, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से : श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

**आ दे श**

**10.03.2026** काराधीन अभियुक्त विकास कुमार की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि दिनांक 02.03.2026 से काराधीन है। शेखपुरा थाना कांड संख्या—55 / 2026 अंतर्गत प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लंबित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतः निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। आवेदक द्वारा किसी भी न्यायालय में नियमित जमानत आवेदन एवं अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जो कि आवेदक के विरुद्ध लागू नहीं होता है। आवेदक के सचेत कब्जे से किसी भी प्रकार शराब बरामद नहीं किया गया है। सिर्फ पैसा ऐठने के लिए पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। आवेदक को उक्त शराब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है। आवेदक को झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। आवेदक एक गरीब व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी कर अपना तथा अपने परिवार का भरण—पोषण करता है। आवेदक को जमानत दिये जाने के उपरांत फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक दिनांक 02.03.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया। अतः उपरोक्त अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

**न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।**
**उपस्थितिः– राकेश कुमार रजक**
**जमानत आवेदन सं0–262/2026**
**शेखपुरा थाना कांड सं0–55/26**
**बिहार राज्य बनाम् विकास कुमार।**

लगातार

10.03.2026 उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला संक्षेप में है कि शेखपुरा थाना दिनांक 01.03.2026 को समय करीब 17:05 बजे सशस्त्र दल के साथ सरकारी वाहन से होली के अवसर पर समकालीन अभ्यान में रेड/शराब छापामारी एवं संध्या गश्ती में थाना से प्रस्थान किया। गश्ती के कम में मेहुस मोड़ के पास पहुंचा तो समय 17:30 बजे गुप्त सूचना मिली कि ग्राम कमासी में विकास कुमार पे0 जलधारी यादव होली के अवसर पर अपने घर के पूरब में स्थित ईंट के बथान में अवैध शराब छुपाकर रखे है तथा शराब की बिकी कर रहा है। तुरंत जाने पर अभियुक्त की गिरफ्तारी हो सकती है। सूचना को सत्यापित कर वरीय पदाधिकारी को अवगत कराकर आवश्यक कार्रवाई हेतु ग्राम कमासी पहुंचकर स्थानीय लोगों तथा चौकीदार द्वारा सत्यापन करते हुए विकास कुमार पे0 जलधारी यादव के घर के पूरब में स्थित बथान के पास पहुंचा। विकास कुमार को वहां उपस्थित पाकर उसके समक्ष उक्त बथान की विधिवत घेराबंदी किया एवं तलाशी के नियमों का पालन करते हुए इनके घर के पूरब में स्थित बथान में रखे भूसा में छुपाकर रखा हुआ हरे रंग के 500 एम0एल0 वाले बोतल में 500 एम0एल0 देशी शराब तथा एक उजला रंग के दो लीटर वाले बोतल में करीब डेढ़ लीटर देशी महुआ शराब बरामद हुआ जिसके संबंध में उपस्थित विकास कुमार से पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया तत्पश्चात् बरामद कुल 02 लीटर देशी महुआ शराब को जप्ती सूची बनाकर विधिवत जप्त किया गया एवं अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात् इसी कम में समय करीब 18:10 बजे सूचना मिली कि ग्राम वाजिदपुर में अनोज कुमार पे0 मल्लु चौधरी अपने घर में अवैध शराब रखकर खरीद बिकी कर रहा है। तत्पश्चात् उक्त स्थान पर छापामारी करने का प्रस्थान किया गया।

अभिलेख का अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया। आवेदक दिनांक 02.03.2026 से काराधीन है। जमानत आवेदन के पारा तीन के अनुसार इनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। वाद का अनुसंधान जारी है।

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदक की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदक की ओर से दस हजार रूपये के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक का एक जमानतदार सगे–संबंधी होंगे एवं इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि––

**न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।**
**उपस्थितिः– राकेश कुमार रजक**
**जमानत आवेदन सं0–262/2026**
**शेखपुरा थाना कांड सं0–55/26**
**बिहार राज्य बनाम् विकास कुमार।**

लगातार

10.03.2026

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगे।
2. आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे,
3. अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 10–03–2026.

| | |
|---|---|
| Date Of Judgement/Order | 10-03-2026 |
| Date Of Reserving Judgement/Order | 10-03-2026 |
| Uploading date | 11-03-2026 |
| Uploaded by | Naveen Kumar Chaudhary |